<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 101/2012 (गत मु.नं. 110/2009) {RCMS 2009/00037}

<u>वादी</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

<u>*बनाम*</u>

<u>प्रतिवादी</u>

1. देवाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर
2. जस्साराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर
3. तेजपाल प नारायण जाति गुर्जर निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

<u>निर्णय</u>

दिनॉक :– 30.09.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर किस्म चाही राजस्व रेकार्ड सम्वत 2065–2068 के अनुसार प्रतिवादी की खातेदारी भूमि दर्ज है, प्रतिवादी ने उक्त भूमि में से 144 वर्गमीटर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के निजी टेलीफोन कम्पनी एयरटेल के टावर का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का मण्डावरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तुत प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी [illegible] के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिना [illegible] 08 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 B L.R.Act में [illegible] प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित [illegible] धिकृत अधिकारी की [illegible] ति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर को राजकीय दर्ज कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के तहत कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2065–2068 की प्रमाणित प्रति, चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर चाही तृतीय में 144 वर्ग मीटर अर्थात 0.0144 हैक्टर पर प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये निजी टेलिफोन कम्पनी एयरटेल का टावर लगाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2065–2068 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 280 से 287, 288, 298, 299, 300 301 312 से 315 कुल रकबा 3.33 हैक्टर में अन्य खातेदारान के साथ प्रतिवादीगण की 0.19 हैक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- मण्डावरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- मण्डावरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 262
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 192

काश्तकार का नाम:-
1. केशरदेवी पत्नि मोहनलाल हिस्सा- 57/3265 जाति- खाती सा. रोहन्डी खातेदार
2. गोपालसिंह पुत्र रामकरणसिंह हिस्सा- 20/653 जाति- रावणा राजपुत सा. देह खातेदार
3. गोरधनलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद हिस्सा- 569/32650 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
4. चन्द्रा पुत्र चूना हिस्सा- 17/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
5. छोटूराम पुत्र चूनाराम हिस्सा- 6/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
6. जेठाराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा- 8/653 जाति- गुर्जर सा. रोहन्डी खातेदार
7. जसाराम पुत्र नारायण हिस्सा- 19/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
8. तेजपाल पुत्र नारायण हिस्सा- 19/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
9. दुला पुत्र बगता हिस्सा- 38/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
10. देवाराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 17/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
11. देवाराम पुत्र नारायण हिस्सा- 208/653 जाति- गुर्जर सा.देह खातेदार
12. दामोदर पुत्र देवकरण हिस्सा- 129/16325 जाति- सुनार सा.रोहन्डी खातेदार
13. धन्नीदेवी पत्नि देवाराम हिस्सा- 17/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
14. फूलकंवर पत्नि बंशीलाल हिस्सा- 32/653 जाति- रावणा राजपुत सा. देह खातेदार
15. भंवरलाल पुत्र मुकना हिस्सा- 32/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16. भंवरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा- 38/3265 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
17. मुकेश गुर्जर पुत्र छीतरराम हिस्सा- 4/653 जाति- गुर्जर सा. रोहन्डी खातेदार
18. मनफुली पत्नि बंशीलाल हिस्सा- 20/653 जाति- गवारिया सा. देह खातेदार
19. मेवाराम पुत्र घीसाराम हिस्सा- 38/3265 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
20. रतनीदेवी पत्नि घीसाराम हिस्सा- 38/3265 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
21. रामदेव पुत्र घीसाराम हिस्सा- 38/3265 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
22. रामेश्वरलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा- 971/32650 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
23. लक्ष्मीदेवी पत्नि पुखराज हिस्सा- 677/32650 जाति- अहीर(यादव) सा. नावा शहर तह. नावा खातेदार
24. लाडकंवर पत्नि देवीसिंह हिस्सा- 491/6530 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
25. श्रवणराम पुत्र घीसाराम हिस्सा- 38/3265 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
26. शिवजी पुत्र भैरू हिस्सा- 36/653 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
27. सुखलीदेवी पत्नि छीतरराम हिस्सा- 4/653 जाति- गुर्जर सा. रोहन्डी खातेदार
28. हाकिमअली पुत्र मुनीरखां हिस्सा- 8/653 जाति- कलाल सा. देह खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
280	0.3900	बारानी 1	0.3900	2.34		स्वीकृत नामांतरकरण : 613 20/06/2019 विरासत	
281	0.0800	बारानी 1	0.0800	0.48			
282	0.0700	बारानी 1	0.0700	0.42			
283	0.0800	बारानी 1	0.0800	0.48			
284	0.0800	बारानी 1	0.0800	0.48			
285	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	0.00			
287	0.1000	बारानी 1	0.1000	0.60			
288	0.1000	बारानी 1	0.1000	0.60			
298	0.0800	बारानी 1	0.0800	0.48			
299	1.3000	चाही 2	0.8200	29.52	चा.नं. 313		
		जाव 2	0.4800	8.64			
300	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000	0.00			
301	0.1250	बारानी 1	0.1250	0.75			
312	0.4000	बारानी 1	0.4000	2.40			
313	0.0200	गै.मु.कुँआ	0.0200	0.00			
314	0.1000	बारानी 1	0.1000	0.60			
315	0.1500	बारानी 1	0.1500	0.90			
कुल खसरे - 16	3.2650		3.2650	48.6900			

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में से 0.0141 वर्ग मीटर भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा निजी टेलिकॉम कम्पनी एयरटेल का टावर लगाया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर में 0.0141 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.0141 वर्ग मीटर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 30/9/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम : कुचामन सिटी**

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 101/2012 (गत मु.नं. 110/2009) {RCMS 2009/00037}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. देवाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर
2. जस्साराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर
3. तेजपाल प नारायण जाति गुर्जर निवासीगण मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू—बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 299 रकबा 1.30 हैक्टर में 0.0141 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.0141 वर्ग मीटर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 30/5/2014 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
ओहदा (मुहर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए